कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर

पत्रांक–8796/का0क्षे0/333का0क्षे0–क0फ0वृ0/एन0ओ0सी0/21 दिनांक–15.09.2021

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
कन्नौज–फर्रूखाबाद वृत्त,
लो0नि0वि0, कन्नौज।

विषय जनपद फर्रूखाबाद में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 मथुरा द्वारा एटा कायमगंज फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0–121) में खसरा सं0 659, 660क, 666ख ग्राम खारबन्दी भीखमपुर तहसील व जिला फर्रूखाबाद में नये पेट्रोल पम्प की स्थापना करने हेतु में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक–1118सी/35सी0–क0फ0वृ0/21 दि0–28.08.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः स्थापित रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिये आपकी संस्तुति तथा शासनादेश संख्या–1882/23–12–19–1365/17 टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ 06 माह के अन्तर्गत रिटेल आउटलेट का निर्माण पूर्ण होने की शर्त के साथ प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता हैः–

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के नये (पेट्रोल/डीजल पम्प) का निर्माण कार्य एटा कायमगंज फर्रूखाबाद मार्ग(राज्यमार्ग सं0–121) (शहरी भाग) के किमी0 100(730) में दायी ओर ग्राम खारबन्दी भीखमपुर तहसील व जिला फर्रूखाबाद के खसरा सं0 659, 660क, 666ख में प्रस्तावित है।
2. रिटेल आउटलेट हेतु निर्माण कार्य एटा कायमगंज फर्रूखाबाद मार्ग(राज्य मार्ग सं0–121) (शहरी भाग) के किमी0100 (730) में दायी ओर किया जायेगा।
3. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
4. यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल 1964 के नियम 7 के अनुसार आवेदक को प्रस्तावित निर्माण एवं रिटेल आउटलेट(पेट्रोल) लगाने की अनुमति सड़क के मध्य से 18.29 मी0 अर्थात 60 फुट की दूरी पर निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जा सकता हैः–

1क. आवेदक को निर्माण/पेट्रोल/डीजल पम्प लगाने की अनुमति के उपरान्त निजी खर्चे से दोनो ओर पुलिया एव पहुँच मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा।

1ख. इस प्रकार की कोई भी स्थायी व अस्थायी संरचना नहीं की जायेगी जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।

1ग. आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी का बहाव इस प्रकार करना होगा कि पानी बिना अवरोध के सीधा नाली में ही आये। किसी भी दशा में नाली को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आये।

5. मानचित्र में दिये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लिखित किन्हीं भी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा लोक निर्माण विभाग के समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिये। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
7. रिटेल आउटलेट(पेट्रोल/डीजल पम्प) के पहुँच मार्ग का रखरखाव भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के डीलर द्वारा स्वय के व्यय पर करना अनिवार्य होगा।
8. उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
9. बफर स्ट्रिप का निर्माण शासनादेश संख्या–1882/23–12–19–1365/17टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक–04.12.2019 के अनुसार कम से कम 3.00 मीटर चौड़ी एवं 12.00 मी0 लम्बी होनी चाहिए।
10. बफर स्ट्रिप एवं रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) की बाउण्ड्री के बीच की दूरी दोनो तरफ कम से कम 9.00 मी0 होनी चाहिये।
11. मार्ग पर 300 मी0 की दूरी पर कोई अन्य रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) नही होना चाहिये।
12. रिटेल आउटलेट(पेट्रोल/डीजल पम्प) के पहुँच मार्ग में 150 एम0एम0 जी0एस0बी0, डब्लू0एम0एम0 250 एम0एम0, 50 एम0एम0 डी0बी0एम0 तथा 30 [illegible]

30/09/21
Sanjay Anand
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum C... Ltd.
Bareilly

20/10/21
(पी0के0 [illegible])
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फर्रूखाबाद (उ.प्र.)

13. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) का पेक्ट एरिया का लेविल सड़क के पेंटेड सतह के मध्य लेबिल से न्यूनतम 300 मिली0मी0 नीचे होना चाहिये ताकि सड़क पर परिसर का पानी न आने पाये।

14. ड्रेनेज हेतु पेट्रोल पम्प (पेट्रोल/डीजल पम्प)सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 2 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाये।

15. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि आर0ओ0डब्लू एवं बिल्डिंग लाइन के बाहर होना चाहिये तथा निर्माण सामग्री इसकी सीमा में एकत्रित न की जाये।

16. लोक निर्माण विभाग की स्थायी भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साइन–बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।

17. भविष्य में यदि सड़क का चौड़ीकरण होता है और विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहीत की जाती है तो आवेदक की किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

18. प्रस्तावित कार्य स्थल की भूमि का आउटलेट के स्वामी के नाम बतौर भू स्वामी दर्ज होने अथवा भू स्वामी द्वारा आउटलेट के स्वामी के नाम पंजीकृत लीज–डीड के निष्पादित किये जाने के सत्यापन(यदि नियमों में इसका प्राविधान हो) राजस्व विभाग द्वारा अवश्य करा लिया जाये। यदि उक्त आराजी आउटलेट के स्वामी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न हो अथवा उक्त प्रस्तावित कार्यस्थल भूमि का मा0 न्यायालय में यदि कोई वाद/मुकदमा लम्बित हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र पर कोई विचार न किया जाये।

19. रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड/सूचना पट/कॉशन बोर्ड, अग्निशमन यंत्र इत्यादि लगवाने की व्यवस्था आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वयं के खर्चे पर कराना सुनिश्चित किया जाये।

20. पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज को बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मी0 ऊपर रखा जाये।

21. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के पश्चात यातायात कदापि प्रभावित न किया जाये।

22. जल–मल निकासी मार्ग की तरफ न किया जाये तथा निर्माण सामग्री को मार्ग के किनारे पटरी पर न रखा जाये।

23. निर्माण स्थल के सामने एवं मुख्य मार्ग के बीच में बची हुयी लोक निर्माण विभाग की भूमि पर किसी कम्पनी का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल/खम्भे इत्यादि कदापि न लगाये जायेंगे।

24. प्रस्तावित निर्माण कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष समयावधि में न होने पर आउटलेट स्वामी को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगा।

25. लोक निर्माण विभाग की सरकारी भूमि जो प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग के रूप में उपभोगी होगी उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उत्तर प्रदेश सरकार(लोक निर्माण विभाग) को ही रखने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र भू–स्वामी/पेट्रोल पम्प मालिक से प्राप्त करने के पश्चात् ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

26. वेगान्तर लेन में स्थित विद्युत पोल को सुगम आवागमन हेतु सुविधाजनक स्थान पर शिफ्ट किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। दुर्घटना होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी रिटेल आउटलेट संचालक की होगी।

27. प्रस्तावित निर्माण कार्य शासनादेश संख्या–1882/23–12–19–1365/17टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक–04.12.2019 के प्राविधानों/विशिष्टियों एवं ANNEX-1 तथा 2 A & 2 B में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ही कराया जाये। यदि सर्कुलर में दिये गये विशिष्टियों/मानको के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आउटलेट स्वामी का होगा एवं निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

28. शासनादेश संख्या–1882/23–12–19–1365/17टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक–04.12.2019 के प्रस्तर–13 के अनुसार प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु नियमानुसार अनुसरण किया जाये।

29. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–1882/23–12–19–1365/17टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक–04.12.2019 के प्रस्तर–11.2 के अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रू0 3,00,000.00(रू0 तीन लाख मात्र) की लाइसेंस फीस सर्कुलर जारी होने की कलेण्डर वर्ष में तथा रू0 10,000.00(रू0 दस हजार मात्र) प्रोसेसिंग फीस के रूप में आवेदक द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, फतेहगढ़ के राजस्व मद में जमा करा दिया गया है। लीज खत्म होने की स्थिति में पुनः नवीनीकरण हेतु रू0 10,000.00 का नवीनीकरण शुल्क राजस्व मद में जमा किया जायेगा।

संलग्नक–मानचित्र दो प्रतियों में।

(के0सी0वर्मा)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, फतेहगढ़ को शासनादेश संख्या–1882/23–12–19–1365/17टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक–04.12.2019 के प्रस्तर –13.3 का अनुसरण करते हुये अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रकरण निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुनः प्रेषित करें।

मुख्य अभियन्ता
कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0
कानपुर

Sanjay Anand
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd
Bareilly Territory

20/10/21